न्यायालयः—अपर सेशन न्यायाधीश, घड़साना, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी— **ऋषि कुमार**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्र.सं. — 07/2018(पुराना प्रकरण सं. 14/16)
सी.आई.एस.नं. — 07/2018

राजस्थान राज्य

बनाम

1. प्रेम कुमार पुत्र गोपालराम निवासी गुंजाल पी.एस. सरवरखुईया, तहसील अबोहर, पंजाब।
2. सुखा उर्फ सुखविन्द्र सिंह पुत्र मिठू सिंह निवासी 3 जीडी, तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर। (**मफरूर घोषित दिनांक 28.03.2026**)
3. रमन पुत्र खैरातीलाल निवासी गुरूहरसहाय, पुलिस थाना गुरूहरसहाय, जिला फिरोजपुर पंजाब। **मफरूर घोषित दिनांक 15.12.2025**)
4. जसविन्द्र सिंह पुत्र हरजिन्द्र सिंह निवासी मकान नं. 869 शेखपुरा मौहल्ला नजद पटवारखाना, जन्डेआला गुरू जिला अमृतसर पंजाब (**मफरूर घोषित दिनांक** 07.10.2025)
5. जसविन्द्र सिंह उर्फ जस्सा पुत्र तेजा सिंह निवासी दशमेशनगर जलालाबाद, पंजाब (**मृत्यु होने के कारण कार्यवाही ड्रोप दिनांक 14.10.2025**)
6. बिटटु उर्फ बलदेव सिंह उर्फ हरप्रीत सिंह पुत्र सोहन सिंह निवासी पंजपीर नगर ,टिब्बा गली नं. 5 अबोहर, पंजाब। **मफरूर घोषित दिनांक** 07.10.2025)

——मुल्जिमान

अपराध अन्तर्गत धारा 307,399,353,147 भा.द.स. व 3/25, 27 आर्म्स एक्ट

उपस्थितिः—

1. श्री महीराम सुथार विद्वान अपर लोक अभियोजक, वास्ते राज्य पक्ष
2. श्री प्रदीप बिश्नोई विद्वान अधिवक्ता वास्ते मुल्जिम प्रेम कुमार

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांक–16.04.2026</u>**

01. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 09.03.2016 को एस.एच.ओ अरविन्द कुमार को विक्रांत एफ.सी. नं. 1244 व जयपाल एफ.सी. नं. 1761 ने सूचना दी कि हम लोग कस्बा रावला में स्थायी वारंटियों की तलाश व माइनर एक्ट की कार्यवाहियों की आसूचना एकत्र करने के लिए थाना से रवाना हुए। दौराने गश्त मुखबिर ने उन दोनों को सूचना दी कि धानमंडी रावला में रोजड़ी रोड गेट के पास स्थित एस.बी.आई. बैंक के पास एक संदिग्ध सिल्वर रंग की डी एल नं. की स्कोर्पियो गाड़ी खड़ी है, जिसमें छः अज्ञात लड़के है जो कोई वारदात कर सकते है। उक्त इत्तिला पर एस.एच.ओ. अरविन्द कुमार मय साथी मुलाजमान के रवाना होकर धानमंडी रावला के पास पहुंचे तो उक्त दोनों एफ.सी. मिले। जिन्होंने बताया कि उन्होंने सिविल ड्रेस में स्कोर्पियो गाड़ी के पास जाकर तस्दीक की है। जिसमें छः लड़के बैठे है, जो आपस में बात कर रहे है कि 1.30 से 2 पी.एम के बीच लंच टाईम होगा तब बैंक में आदमी कम होंगे तो बैंक को लूटना है। बैंक में 15–20 लाख रूपये मिल जायेंगे, जो आपस में बांट लेंगे। जो कभी बैंक की तरफ जा रहे है एवं कभी वापिस आ रहे है। जब यह धानमंडी के गेट के पास पहुंचा तो एक स्कोर्पियो गाड़ी नं. डीएल 7 सी 2575 रंग सिल्वर खड़ी दिखाई दी। जिसमें पांच व्यक्ति अंदर बैठे दिखाई दिये व एक व्यक्ति बाहर खड़ा दिखाई दिया। पुलिस को देखकर बाहर खड़ा व्यक्ति भागने लगा। जिसका पीछा विक्रांत व जयपाल ने किया। मन सी.आई ने स्कोर्पियो गाड़ी को रूकवाने की कोशिश की तो उक्त गाड़ी में बैठे पांचो लड़के गाड़ी को तेज गति से भगा कर ले गये। रूकने का इशारा करने पर भी नही रूके। दूसरे लड़के की तरफ गाड़ी भगा कर पीछा किया तो उसने रोजड़ी चौराहे पर विक्रांत व जयपाल को जान से मारने की नीयत से रिवाल्वर निकाल कर फायर किया। जो जयपाल व विक्रांत के नीचे हो जाने की वजह से उपर से निकल गया। उस व्यक्ति को शिव चौक से भागते भागते बस अडडे के पास काबू किया। उस व्यक्ति ने पूछने पर अपना नाम प्रेम कुमार निवासी गुमजाल होना बताया। उस व्यक्ति से एक रिवाल्वर 32 बोर मिला , जिसमें कारतूस भरे है। उक्त व्यक्ति से रिवाल्वर मय कारतूस रखने बाबत लाईसैंस पूछा तो नही होना बताया। रिवाल्वर का निरीक्षण करने पर पांच कारतूस भरे होना पाया जिसमें एक कारतूस खाली व चार जिन्दा कारतूस थे। प्रेमकुमार ने भागने वालों के नाम जसविन्द्र पुत्र हरजिन्द्र सिंह, जसविन्द्र सिंह उर्फ जस्सा पुत्र तेजा सिंह, रमन कुमार, बिटटू, सुखविन्द्र सिंह उर्फ सुखा होना बताया। उक्त प्रेम कुमार से हथियारों सहित आने बाबत पूछा तो खुद व भागने वाले अन्य साथियों का उददेश्य धान मंडी में स्थित एस.बी.आई. व ओ.बी.सी. बैंक में डकैती डालने के लिए दो तीन दिन से

प्रयास करना बताया। रिवाल्वर मय कारतूसो को कब्जा में लेकर फर्द तैयार की। आदि।

02. उक्त फर्द जब्ती के आधार पर पुलिस थाना रावला में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 40/2016 धारा 307, 399, 353, भा.द.स. व 3/25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज की गई। बाद अनुसंधान मुल्जिमान प्रेम कुमार के विरूद्ध धारा 307, 399, 353, 147 भा.द.स. व 3/25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत व मुल्जिमान सुखा उर्फ सुखविन्द्र सिंह, रमन, जसविन्द्र सिंह व जसविन्द्र सिंह पुत्र तेजा सिंह व बिटटु उर्फ बलदेव सिंह उर्फ हरप्रीत सिंह के विरूद्ध धारा 399, 353, 147 भा.द.स. में आरोप पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट घड़साना में पेश किया गया। मुल्जिमान के विरूद्ध उक्त अपराधों का प्रसंज्ञान लिया गया। प्रकरण सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण अपर सेशन न्यायाधीश अनूपगढ कैम्प घड़साना को उपार्पित किया गया। तत्पश्चात प्रकरण माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्रीगंगानगर के आदेश पर विधिवित सुनवाई हेतु इस न्यायालय को प्राप्त होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया।

03. प्रकरण में बहस चार्ज सुनने के उपरांत मुल्जिमान प्रेमकुमार को धारा 147, 307, 353, 399 भा.द.स. व धारा 3/25, 27 आर्म्स एक्ट व मुल्जिमान सुखविन्द्र सिंह उर्फ सुखा व रमन कुमार को धारा 147, 353, 399 भा.द.स. के तहत आरोप अलग से विरचित कर सुनाये व समझाये गये। मुल्जिमान ने आरोपों को सुन व समझकर अस्वीकार किया और अन्वीक्षा चाही।

04. इस प्रकरण में मुल्जिमान रमन, सुखा उर्फ सुखविन्द्र सिंह, जसविन्द्र सिंह पुत्र हरजिन्द्र सिंह व बिटटू उर्फ बलदेव सिंह मफरूर घोषित है तथा मुल्जिम जसविन्द्र उर्फ जस्सा पुत्र तेजा सिंह की मृत्यु होने के कारण उसके विरूद्ध पूर्व में कार्यवाही ड्रोप की जा चुकी है। अतः प्रकरण का निस्तारण मुल्जिम प्रेम कुमार की हद तक किया जा रहा है।

05. साक्ष्य अभियोजन में पी.ड.1 जयपाल, पी.ड.2 प्रशान्त कौशिक, पी.ड.3 राधेश्याम सांखला, पी.ड.4 विनोद कुमार, पी.ड.5 रामविलास, पी.ड.6 भरतलाल, पी.ड.7 विक्रांत, पी.ड.8 सुभाष, पी.ड.9 अरविन्द कुमार, पी.ड.10 सुखविन्द्र सिंह के बयान लेखबद्ध करवाये गये। **दस्तावेजी साक्ष्य** में फर्द बरामदगी प्रदर्श पी.1, नक्शा मौका प्रदर्श पी. 2,

हालात मौका प्रदर्श पी.2ए, फर्द गिरफतारी व जामा तलाशी मुल्जिम जसविन्द्र सिंह प्रदर्श पी. 3, फर्द गिरफतारी व जामा तलाशी मुल्जिम जसविन्द्र सिंह उर्फ जस्सा प्रदर्श पी. 4, फर्द गिरफतारी व जामा तलाशी मुल्जिम रमन प्रदर्श पी. 5, फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुल्जिम जसविन्द्र सिंह उर्फ जस्सा प्रदर्श पी. 6, फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुल्जिम रमन प्रदर्श पी.7, फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुल्जिम जसविन्द्र सिंह प्रदर्श पी.8, फर्द तस्दीक घटनास्थल मुल्जिम जसविन्द्र सिंह प्रदर्श पी. 9, फर्द तस्दीक घटनास्थल मुल्जिम रमन प्रदर्श पी. 10, फर्द तस्दीक घटनास्थल मुल्जिम जसविन्द्र सिंह उर्फ जस्सा प्रदर्श पी. 11, नक्शा मौका घटनास्थल मुल्जिम जसविन्द्र सिंह उर्फ जस्सा प्रदर्श पी. 12, हालात मौका घटनास्थल प्रदर्श पी. 12ए, नक्शा मौका घटनास्थल तस्दीक मुल्जिम रमन प्रदर्श पी. 13, हालात मौका घटनास्थल प्रदर्श पी. 13ए, नक्शा मौका घटनास्थल तस्दीक मुल्जिम जसविन्द्र सिंह प्रदर्श पी. 14, हालात मौका घटनास्थल तस्दीक प्रदर्श पी. 14ए, थानाधिकारी पुलिस थाना नई मंडी घड़साना द्वारा मुल्जिम प्रेम कुमार की सकूनत व अपराधिक रिकार्ड बाबत जारी पत्र प्रदर्श पी. 15, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी. 16, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी. 17, थानाधिकारी पुलिस थाना घड़साना द्वारा एस.पी. श्रीगंगानगर को लिखा गया पत्र वास्ते चिटठी जारी करवाने हेतू प्रदर्श पी. 18, एस.पी. कार्यालय श्रीगंगानगर द्वारा जारी अग्रेषण पत्र की प्रति प्रदर्श पी. 19, प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी. 20, रोजनामचा प्रदर्श पी. 21, फर्द जब्ती जीप स्कोर्पियो प्रति प्रदर्श पी. 22, फर्द बरामदगी पिस्तौल देशी 12 बोर, 12 बोर जिन्दा कारतूस, एक जिन्दा कारतूस 32 बोर, व एक खाली खोखा कारतूस 32 बोर, एक कापा लोहा व 18 विभिन्न वाहनों की चाबियां अजाने मुल्जिम रमन कुमार, जसविन्द्र सिंह पुत्र तेजा सिंह, जसविन्द्र सिंह पुत्र हरजिन्द्र सिंह प्रति प्रदर्श पी. 23, फर्द गिरफतारी व जामा तलाशी प्रति मुल्जिम जसविन्द्र सिंह प्रदर्श पी. 24, फर्द गिरफतारी व जामा तलाशी प्रति मुल्जिम रमन कुमार प्रदर्श पी.25, फर्द गिरफतारी व जामा तलाशी प्रति मुल्जिम जसविन्द्र सिंह प्रदर्श पी. 26, फर्द बरामदगी प्रति 02 नम्बर प्लेट वाहन जिन पर एच आर 66 2569 लिखा है अजाने मुल्जिम रमन कुमार प्रदर्श पी. 27, मालखाना रजिस्टर प्रति प्रदर्श पी. 28, रोजनामचा आम प्रति प्रदर्श पी. 29, नकल मालखाना रजिस्टर प्रति प्रदर्श पी. 30, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी. 31, अंतिम रिपोर्ट फार्म प्रदर्श पी. 32, फर्द गिरफतारी व जामा तलाशी मुल्जिम प्रेम कुमार प्रदर्श पी. 33, फर्द खाका देशी कटटा रिवाल्वर 32 बोर प्रदर्श पी.

34, फर्द इत्तिला अंतर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुल्जिम प्रेम कुमार प्रदर्श पी. 35, फर्द गिरफतारी व जामा तलाशी मुल्जिम सुखा उर्फ सुखविन्द्र सिंह प्रदर्शपी. 36, फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुल्जिम सुखा उर्फ सुखविन्द्र सिंह प्रदर्श पी. 37, फर्द तस्दीक घटनास्थल मुल्जिम सुखा उर्फ सुखविन्द्र सिंह प्रदर्श पी. 38, फर्द तस्दीक घटनास्थल मुल्जिम प्रेम कुमार प्रदर्श पी. 39 नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी. 40, हालात मौका घटनास्थल प्रदर्श पी. 40ए, चिट दस्तख्ती प्रति प्रदर्श पी. 41, 41ए , एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी. 42, नकल मालखाना रजिस्टर प्रति प्रदर्श पी. 43ए, पेश कर प्रदर्शित करवाये।

06. मुल्जिम प्रेम कुमार के बयान अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.स. लेखबद्ध किये गये। मुल्जिम ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया। साक्ष्य सफाई पेश नही करना चाहा।

07. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया। इस प्रकरण के निर्णय हेतु निम्नलिखित अवधारणीय बिन्दु उत्पन्न होते हैं:–

1. आया मुल्जिम प्रेम कुमार ने दिनांक 09.03.2016 को अन्य मुल्जिमान के साथ मिलकर वक्त 12.05 बजे या उसके लगभग धानमंडी के गेट के सामने एस.बी.आई.बैंक के पास रावला मंडी में मारपीट, लूट आदि करने के सामान्य उददेश्य के अग्रसरण में विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर बलवा कारित किया तथा पुलिस अधिकारी व कर्मचारी जो उस समय लोकसेवक के नाते अपने कर्तव्य को निष्पादित कर रहे थे, को लोक कार्य के निर्वहन से निवारित व भयोपरत करने के आशय से उन पर अपराधिक बल का प्रयोग किया तथा एस.बी.आई. बैंक रावला मंडी में डकैती करने की तैयारी की ?

2. आया मुल्जिम ने उक्त अपराध कारित किया है तो उचित सजा क्या होगी ?

08. अवधारण हेतु बनाये गये प्रश्नों के संदर्भ में उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। विद्वान अपर लोक अभियोजक ने बहस के दौरान कथन किया कि इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य पेश हुई है, उससे यह तथ्य संदेह से परे साबित है कि मुल्जिम प्रेम कुमार ने अन्य मुल्जिमान

सुखविन्द्र सिंह उर्फ सुखा, रमन, जसविन्द्र सिंह पुत्र हरजिन्द्र सिंह व जसविन्द्र सिंह उर्फ जस्सा पुत्र तेजा सिंह सभी एक स्कोर्पियो लेकर रावला स्टेट बैंक के बाहर इकटठे हुए और बैंक से 1.30 से 2.00 बजे के बीच लंच समय के दौरान डकैती डालने की योजना बना रहे थे। जिस बाबत मुखबिर से इत्तिला प्राप्त होने पर जयपाल व विक्रांत कांस्टेबल जो वारंटी की तलाश करने के लिए पुलिस थाना से रवाना हुए थे, उक्त दोनों को इत्तिला प्राप्त होने पर उनके द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना रावला को सूचना दी गई। स्कोर्पियो गाड़ी को जाकर देखा तो उसमें छः लड़के बैठे थे, जो आपस में बात कर रहे थे कि 1.30 से 2.00 बजे के बीच बैंक में लूट कारित करनी है। उन सभी में पांच व्यक्ति स्कोर्पियो के अंदर बैठे थे तथा एक लड़का बाहर खड़ा था। जो पुलिस को देखकर भागने लगा। विक्रांत व जयपाल ने उसका पीछा किया तो उस लड़के ने उनपर फायर किया, जिसे बाद में विक्रांत व जयपाल ने पकड़ लिया। स्कोर्पियो में जो पांच व्यक्ति बैठे थे, उनको समेजा के पास समेजा कोठी पुलिस ने गिरफतार कर लिया। मुल्जिम प्रेम कुमार को मौके पर ही गिरफतार कर लिया गया था, उसके कब्जे से 04 जिन्दा कारतूस, एक 32 बोर का देशी पिस्तौल व एक खाली खोखा 25 बोर बरामद हुआ था, जो प्रदर्श पी.1 से साबित है। वजह सबूत पिस्तौल व कारतूस न्यायालय में पेश हुए है। पिस्तौल व कारतूसों की एफ.एस.एल. जांच भी की गई है, जिसमें भी उक्त पिस्तौल चलने योग्य पाया गया है। मुल्जिम प्रेम कुमार की इत्तिला पर घटनास्थल की तस्दीक भी की गई है। जिन विक्रांत व जयपाल पर फायर हुआ था, उनमें जयपाल पी.ड.1 व विक्रांत पी.ड.7 के रूप में न्यायालय में परीक्षित भी हुए है। उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रेम कुमार के द्वारा उनपर फायर करना व प्रेम कुमार को मौके पर ही गिरफतार करने के सम्बंध में कथन किये है। इस प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी पी.ड.2 प्रशान्त कौशिक ने भी इस प्रकरण के अनुसंधान पश्चात मुल्जिम प्रेम कुमार के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित पाये है। इस प्रकरण में जो जब्ती की गई थी वह पी.ड.9 अरविन्द कुमार के द्वारा की गई थी, जिसने भी मुल्जिम प्रेम कुमार से पिस्तौल व कारतूस बरामद किये जाने के स्पष्ट रूप से कथन किये है। इसलिए अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य आई है, उससे मुल्जिम प्रेम कुमार के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित हैं। अंत में मुल्जिम प्रेम कुमार को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध करार दिये जाने का निवेदन किया।

09. इसके विरोध में विद्वान अधिवक्ता मुल्जिम प्रेम कुमार ने कथन किया है कि इस प्रकरण में मुल्जिम के विरूद्ध धारा 399 भा.द.स. के

अपराध का आरोप है कि मुल्जिम प्रेम कुमार अन्य मुल्जिमान के साथ मिलकर डकैती की योजना बना रहा था, परन्तु अन्य पांच व्यक्ति कौन थे, इस सम्बंध में अभियोजन के किसी भी साक्षी ने कथन नही किया है तथा प्रदर्श पी. 1 के अनुसार मुल्जिम प्रेम कुमार स्कोर्पियो गाड़ी के अंदर नही था बल्कि स्कोर्पियो गाड़ी के बाहर था, इसलिए स्कोर्पियो गाड़ी के अंदर बैठे पांच व्यक्तियों से बातचीत कैसे कर रहा था, यह अभियोजन की ओर से स्पष्ट नही किया गया है। धारा 399 भा.द.स. के अपराध को साबित करने के लिए पांच व्यक्तियों के दिमाग का आपस में किसी कार्य करने के लिए मिलना आवश्यक है, परन्तु इस प्रकरण में ऐसा नही है तथा भागने वाले अन्य पांच व्यक्ति कौन थे। क्या समेजा कोठी में पकड़े गये पांच व्यक्ति वहीं पांच व्यक्ति थे, जो रावला बैंक के बाहर स्कोर्पियो में बैठे थे। इस सम्बंध में जयपाल, विक्रांत व अन्य पुलिस कर्मियों से जो मौके पर पहुंचे थे, उनसे पहचान नही करवाई गई है, जिससे भी धारा 399 भा.द.स. का अपराध प्रमाणित नही माना जा सकता।

10. इसके अलावा मुल्जिम प्रेम कुमार के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया है कि मुल्जिम पर धारा 353 भा.द.स. के अपराध का आरोप है। इस आरोप के अनुसार अभियोजन को यह साबित करना था कि जो पुलिस के कर्मचारी व अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, वह क्या उस समय राज कार्य कर रहे थे, तथा उनका पदस्थापन पुलिस थाना रावला में था। धारा 353 भा.द.स. के अपराध को साबित करने के लिए सबसे पहले अभियोजन पक्ष को यह साबित करना है कि जो कर्मचारी मौके पर थे, वह पुलिस कर्मचारी थे, परन्तु अभियोजन की ओर से उनके पदस्थापन बाबत कोई भी साक्ष्य पेश नही की गई है तथा जयपाल व विक्रांत व अन्य पुलिस कर्मियों का पदस्थापन पुलिस थाना रावला में हो, इस सम्बंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य अभियोजन की ओर से पेश नही की गई है तथा साक्षी जयपाल व विक्रांत घटना के समय राजकार्य कर रहे हो, ऐसी कोई भी साक्ष्य अभियोजन की ओर से पेश नही की गई है। इसलिए लोकसेवकों के राजकार्य में बाधा डाली गई हो, या उनपर अपराधिक बल का प्रयोग किया गया हो, यह तथ्य अभियोजन पक्ष साबित नही कर पाया है।

11. इसके अतिरिक्त धारा 307 भा.द.स. के सम्बंध में कोई स्पष्ट साक्ष्य अभियोजन की ओर से पेश नही की गई है। दस्तावेज प्रदर्श पी.1 के अनुसार मुल्जिम प्रेम कुमार का एक फायर करना बताया गया है व प्रेम कुमार को मौके पर ही गिरफतार कर 32 बोर पिस्तौल मय 04 जिन्दा

कारतूस व एक खाली खोखा बरामद होना बताया है। इस सम्बंध में देखा जाए तो इस प्रकरण का वजह सबूत पी.ड.9 अरविन्द कुमार की साक्ष्य जब लेखबद्ध हुई थी, उसकी साक्ष्य के दौरान वजह सबूत न्यायालय में पेश हुआ था और न्यायालय के आदेशानुसार उसे खोला गया था तो उसमें मिला एक देशी पिस्तौल 32 बोर, 04 कारतूस व एक कारतूस जिन्दा मिला, जो कि फर्द बरामदगी से अलग है। क्योंकि फर्द बरामदगी में 04 जिन्दा कारतूस बताये गये है, जबकि न्यायालय में जो 04 कारतूस पेश हुए है, वह चले हुए होना बताये गये है। जिससे भी बरामदगी संदेहास्पद हो जाती है। इस बात के स्पष्टीकरण के लिए अरविन्द कुमार ने कहा है कि यह एक लिपिकीय भूल है। इस सम्बंध में पुलिस थाना नई मंडी घड़साना द्वारा पुलिस अधीक्षक जिला श्रीगंगानगर को जो पत्र प्रदर्श पी. 18 लिखा था, उसमें भी फर्द बरामदगी के अनुसार 04 जिन्दा कारतूस बताये गये थे तथा जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर द्वारा जो पत्र विधि विज्ञान प्रयोगशाला को लिखा गया था उसमें भी 04 जिन्दा कारतूस व एक खाली खोखा बताया गया है, जिससे भी प्रकट है कि इसे लिपिकीय भूल होना नही माना जा सकता। क्योंकि लिपिकीय भूल एक जगह होती है, हर जगह नही होती । इसलिए इस प्रकरण में जो बरामदगी की गई है वह संदिग्ध है। इस कारण से धारा 307 भा.द.स. का अपराध साबित नही माना जा सकता।

12. मुल्जिम प्रेम कुमार पर धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अपराध का आरोप है तथा आयुद्ध अधिनियम में प्रसंज्ञान के लिए व कार्यवाही करने के लिए आयुद्ध अधिनियम की धारा 39 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व स्वीकृति ली जाना आवश्यक है, परन्तु इस प्रकरण में ऐसी कोई स्वीकृति पेश नही की गई है, जिससे भी मुल्जिम के विरूद्ध धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम का अपराध प्रमाणित नही है।

13. जहां तक धारा 27 आयुद्ध अधिनियम का प्रश्न है, इस सम्बंध में देखा जाए तो जो मौके से बरामदगी की गई है तथा जो न्यायालय के समक्ष वजह सबूत पेश किया गया है, उसमें काफी अन्तर है। जिस कारण से भी यह साबित नही माना जा सकता कि मुल्जिम से 32 बोर का पिस्तौल बरामद हुआ हो। इसलिए अभियोजन पक्ष मुल्जिम प्रेम कुमार के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः मुल्जिम प्रेम कुमार को आरोपित आरोपो से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित करने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता मुल्जिम प्रेमकुमार ने निम्नलिखित ससम्मानीय न्यायिक दृष्टांत पेश किये—

1.1997 SCC (CRIME) 857
Vijendra vs State of Delhi

इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने धारा 39 आयुद्ध अधिनियम के तहत पूर्व अनुमति ली जाना आवश्यक माना था।

2. 2015 (1) CRLR (Raj.) 477
State of Rajasthan vs Sonu & Anr.

इसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह माना था कि पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का मौके पर गिरफतार होना साबित नही मानने व आयुद्ध अधिनियम के तहत अभियोजन स्वीकृति, अभियोजन द्वारा साबित करने में असफल रहने पर अपराध प्रमाणित नही माना गया था।

3. 2012 (1) CRLR (Raj.) 383

इस प्रकरण में अभियोजन अभियुक्तगण के बीच दिमागी रूप से मिलने का तथ्य साबित करने में सफल नही रहा, जिस कारण स अपराध प्रमाणित नही माना गया।

14. दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। सबसे पहले मुल्जिम के विरूद्ध जो धारा 399 भा.द.स. के अपराध का आरोप है, उस सम्बंध में देखा जाए तो मुल्जिम प्रेम कुमार ने अन्य मुल्जिमान के साथ मिलकर बैंक में डकैती करने की तैयारी की, इस सम्बंध में साक्षी पी.ड.1 जयपाल है। इसने कथन किया है कि एस.बी.आई. बैंक के पास एक स्कोर्पियो गाड़ी खड़ी थी, जिसमें पांच छः व्यक्ति बैठे थे। जो बैंक में लूटपाट करने की तैयारी में थे। इसने कहा है कि गाड़ी में छः व्यक्ति बैठे थे, जो आपस में बात कर रहे थे कि बैंक में 1.30 से 2.00 बजे के बीच लंच होता है, उस समय लूट करनी है। गाड़ी के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था, और पांच व्यक्ति अंदर थे। परन्तु गाड़ी के बाहर खड़े व्यक्ति व अंदर बैठे व्यक्तियों के मध्य कोई वार्तालाप हुई हो, इस सम्बंध में इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कोई कथन नही किया है। बैंक के बाहर व मंडी में जगह जगह पर सी.सी.टी.वी.कैमरे लगे हुए है, परन्तु सी.सी.टी.वी.कैमरे की साक्ष्य एक महत्वपूर्ण साक्ष्य थी, परन्तु इस सम्बंध में अनुसंधान अधिकारी

द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य नही ली गई है। यदि सी .सी.टी.वी.कैमरे की साक्ष्य एकत्र की जाती तो न्यायालय के समक्ष सही स्थिति आ सकती थी।

15. साक्षी पी.ड.2 प्रशान्त कौशिक प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है। इसने अपनी मुख्य परीक्षा में प्रकरण के अनुसंधान सम्बंधी साक्ष्य दी है। इस साक्षी की प्रति परीक्षा का अवलोकन किया जावे तो इसने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि मुल्जिमान द्वारा एस.बी.आई. बैंक व ओ.बी.सी. बैंक की दो तीन दिन तक डकैती करने हेतू रैकी करने बाबत इसके द्वारा सी.सी.टी.वी.कैमरो के फुटेज बतौर साक्ष्य एकत्र नही किये। इसने कथन किया है कि उसने मुल्जिम प्रेम कुमार को बरामदगी, तस्दीक घटनास्थल से मुल्जिम माना था। उसने मुल्जिम प्रेम कुमार से कोई बरामदगी नही की। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि बैंक के बाहर सी.सी.टी.वी.कैमरे लगे हुए थे, लेकिन इसने सी.सी.टी.वी.कैमरे की कोई फुटेज इस प्रकरण में एकत्र नही की।

16. साक्षी पी.ड.3 राधेश्याम है, जिसने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 09.03.2016 को धानमंडी में एस.बी.आई. बैंक के बाहर एक स्कोर्पियो गाड़ी खड़ी थी और उसमें पांच छः व्यक्ति बैठे थे, जो आपस में बात कर रहे थे कि लंच टाईम में डकैती करेंगे। पुलिस को देखकर स्कोर्पियो गाड़ी को भगाकर ले गये। जो व्यक्ति स्कोर्पियो गाड़ी के बाहर खड़ा था, वह पैदल भागा, जिसे बाद में पकड़ लिया था। इस साक्षी की प्रति परीक्षा का अवलोकन किया जावे तो इस साक्षी ने यह कहा है कि प्रदर्श पी.1 बनाते समय कोई स्वतंत्र साक्षी नही रखा। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि बरामदशुदा रिवाल्वर का साईज क्या था, उसे ध्यान नही है। रिवाल्वर का रंग क्या था, उसे ध्यान नही है।

17.. साक्षी पी.ड.4 विनोद कुमार ने भी दिनांक 09.03.2016 को पुलिस थाना रावला में हैड कांस्टेबल के पद पर तैनात होना एवं अरविन्द कुमार थानाधिकारी के साथ मौके पर जाना बताता है और इसने कहा है कि एक व्यक्ति को भागते हुए उसका पीछा कर पकड़ा था। उस व्यक्ति ने पूछने पर अपना नाम प्रेम कुमार बताया। मुल्जिम प्रेम कुमार से एक 32 बोर रिवाल्वर बरामद हुआ था, जिसमें कारतूस भरे हुए थे। इस साक्षी ने फर्द मौके पर बनाये जाने का कथन किया है। इस साक्षी ने डकैती की योजना बनाये जाने के सम्बंध में मुल्जिमान की आपस में कोई बात हुई हो , इस सम्बंध में मुख्य परीक्षा में कोई कथन नही किया है। इस साक्षी की प्रति

परीक्षा का अवलोकन किया जावे तो इसने कथन किया है कि इसने किसी को गोली चलाते हुए नही देखा था। जो पिस्तौल बरामद किया था, उसमें गोलियां लोड थी, जिसमें एक खाली खोखा व चार जिन्दा कारतूस थे। इस साक्षी ने मुल्जिमान के मध्य डकैती के बारे में कोई वार्ता हुई हो, इस सम्बंध में कोई कथन नही किया है।

18. साक्षी पी.ड.5 रामविलास है, इस साक्षी ने प्रकरण में आंशिक अनुसंधान किया है। इसने मुल्जिम प्रेम कुमार की इत्तिला पर घटनास्थल का निरीक्षण किया था। इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि इसने सी.सी.टी.वी. कैमरो की फुटेज नही ली थी।

19. साक्षी पी.ड.6 भरतलाल कैरियर है, जिसने एफ.एस.एल. में प्रकरण का वजह सबूत जमा करवाने व रसीद प्राप्त करने के सम्बंध में साक्ष्य दी है।

20. साक्षी पी.ड.7 विक्रांत प्रकरण में चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में पेश हुआ है। उसने कथन किया हे कि दिनाक 09.03.2016 को वह तथा जयपाल स्थायी वारंटी की तलाश व माईनर एक्ट की कार्यवाही करने हेतू रवाना हुए थे। जब वे मंडी रावला में गश्त कर रहे थे तब एस.बी.आई. बैंक के बाहर एक स्कोर्पियो गाड़ी खड़ी थी। जिसमें छः व्यक्ति बैठे थे, एक व्यक्ति बाहर खड़ा था। जो बैंक में लूट कारित करने की तैयारी में थे। इस साक्षी ने इस तथ्य की जानकारी थानाधिकारी रावला को देना बताया है। एस.एच.ओ. मय जाब्ता के मौके पर पहुंचे तो स्कोर्पियो गाड़ी को भगा ले गये तथा जो व्यक्ति गाड़ी के बाहर खड़ा था, वह भी भागा तथा उसने उन पर फायर किया, जिसे बाद में पकड़ लिया था। उसके पास से एक 32 बोर पिस्तौल व 4 जिन्दा कारतूस व एक खाली खोखा भी बरामद हुए थे। इस साक्षी की प्रति परीक्षा का अवलोकन किया जावे तो इसने कथन किया है कि वह मुल्जिमान को पहले से नही जानता था। हो सकता है कि मुल्जिम ने अपने बचाव के लिए फायर किया हो। हमने बैंक के किसी अधिकारी व कर्मचारी को डकैती के सम्बंध में सूचित नही किया। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि धानमंडी परिसर में जगह जगह सी.सी.टी.वी. कैमरे लगे हुए है। अन्य मुल्जिमान के पास हथियार थे या नही, वह नही बता सकता।

21. साक्षी पी.ड.8 सुभाष ने दिनांक 09.03.2016 को पुलिस थाना रावला में हैड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत होना बताया है। इसने

कथन किया है कि एस.बी.आई बैंक के पास एक स्कोर्पियो गाड़ी खडी थी, जिसमें पांच छः व्यक्ति बैठे थे। जो बैंक में लूट की साजिश कर रहे थे। पुलिस जाब्ते को देखकर स्कोर्पियो गाड़ी को भगा ले गये। एक व्यक्ति जो गाड़ी के बाहर खड़ा था, वह पुलिस को देखकर भागा। उस भागने वाले व्यक्ति के पीछे कांस्टेबल भागे तो उस व्यक्ति ने फायर किया, लेकिन दोनो के फायर नही लगा। जिसे बाद में पकड़ लिया गया। उस व्यक्ति से एक 32 बोर पिस्तौल भी मिला जिसमें कारतूस भरे हुए थे। चार जिन्दा कारतूस व एक खाली खोखा था। इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में कथन किया है कि यह कहना सही है कि फायर करने के दौरान किसी के भी चोट नही लगी थी।

22. साक्षी पी.ड.9 अरविन्द कुमार जब्ती अधिकारी है। इसने कथन किया है कि उसे दिनांक 09.03.2016 को विक्रांत व जयपाल ने सूचना दी कि धानमंडी रावला में एस.बी.आई. बैंक के पास एक संदिग्ध डी एल नम्बर की सिल्वर रंग की स्कोर्पियो गाड़ी खड़ी है। जिसमें पांच छः व्यक्ति बैठे है जो लूटपाट करने की फिराक में है। जिस पर वह पुलिस पार्टी के साथ मौके पर पहुंचा तो स्कोर्पियो गाड़ी को भगा कर ले गये। एक व्यक्ति जो गाड़ी के बाहर खड़ा था, वह पुलिस को देखकर भागा। उस भागने वाले व्यक्ति का पीछा किया तो उसने फायर किया, जिसे बाद में पकड़ लिया गया। भागने वाले व्यक्ति ने अपना नाम प्रेमकुमार होना बताया। प्रेमकुमार से एक 32 बोर पिस्तौल भी मिला जिसमें कारतूस भरे हुए थे। चार जिन्दा कारतूस व एक खाली खोखा था। इस साक्षी की प्रति परीक्षा का अवलोकन किया जावे तो इसने कथन किया है कि वह आज यह नही बता सकता कि दिनांक 09.03.2016 को बैंक में कार्य दिवस था या नहीं। उसने बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी से इस सम्बंध में कोई पूछताछ नही की। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि जब फायर हुआ था, तब वह वहां पर नही था।

23. साक्षी पी.ड.10 सुखविन्द्र सिंह ने कथन किया है कि दिनांक 11.04.2016 को वह पुलिस थाना घड़साना में मालखाना इंचार्ज के पद पर था। इस साक्षी ने मुल्जिम प्रेमकुमार से मिले पिस्तौल 32 बोर व पांच कारतूस को मालखाना में जमा करने के सम्बंध में साक्ष्य दी है।

24. इस प्रकार धारा 399 भा.द.स. के सम्बंध में जो साक्ष्य आई है उससे यह साबित नही है कि मुल्जिमान आपस में दिमागी रूप से एक हो और उन्होंने एक विचारधारा में अपराध कारित करने का षड़यंत्र रचा हो। क्योंकि दिनांक 09.03.2016 को बैंक खुला था या बंद था, इस सम्बंध में

किसी भी साक्षी ने स्पष्ट रूप से कथन नही किया है। किसी भी बैंक अधिकारी या बैंक कर्मचारी से कोई पूछताछ नही की गई है तथा सभी साक्षीगण ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि बैंक के बाहर व धानमंडी परिसर में जगह जगह पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगे हुए है। सी.सी.टी.वी. फुटेज जो कि इस प्रकरण में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य थी, परन्तु प्रकरण में ऐसी कोई सी.सी.टी.वी. फुटेज एकत्र नही की गई है। जिससे भी अभियोजन का मामला संदिग्ध हो जाता है। क्योंकि अभियोजन यह तथ्य लेकर आया है कि मुल्जिमान ने बैंक डकैती करने के लिए दो तीन दिन तक एस.बी.आई. व ओ.बी.सी. बैंक की रेकी की थी। इस सम्बंध में सी.सी.टी.वी.फुटेज अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान के दौरान ली जानी चाहिए थी, जो नही ली गई है। जिससे यह पता लग सकता था कि क्या वास्तव में मुल्जिमान ने लूट के सम्बंध में रेकी की गई थी। अतः धारा 399 भा.द.स. के सम्बंध में अभियोजन पक्ष कोई साक्ष्य पेश नही कर सका है।

25. जहां तक धारा 307 भा.द.स. का प्रश्न है, इस प्रकरण में मुल्जिम प्रेम कुमार से एक 32 बोर रिवाल्वर व 4 जिन्दा कारतूस व एक खाली खोखा बरामद होने के सम्बंध में सभी साक्षीगण ने कथन किये है। परन्तु साक्षी अरविन्द कुमार पी.ड.9 जब्तीकर्ता की साक्ष्य जब न्यायालय में लेखबद्ध हो रही थी तब इस प्रकरण का वजह सबूत न्यायालय में पेश हुआ एवं न्यायालय की अनुमति से खोला गया तो उसमें एक देशी कटटा 32 बोर व चार चले हुए कारतूस व एक जिन्दा कारतूस मिले। जबकि फर्द बरामदगी के अनुसार जो जब्ती की गई है उसमें एक 32 बोर रिवाल्वर व 4 जिन्दा कारतूस व एक खाली खोखा बरामद किया गया है। जबकि न्यायालय में एक रिवाल्वर 32 बोर, चार चले हुए कारतूस व एक जिन्दा कारतूस पेश किया गया है। इस सम्बंध में साक्षी पी.ड.9 अरविन्द कुमार की प्रति परीक्षा का अवलोकन किया जावे तो इसने कथन किया है कि लिपिकीय भूल से प्रदर्श पी.1 में चार जिन्दा कारतूस व एक खाली खोखा लिखा गया था। इस सम्बंध में देखा जाए तो उक्त बरामदगी के पश्चात वजह सबूत की एफ.एस.एल. हेतू चिटठी जारी करवाने हेतू पुलिस थाना नई मंडी घड़साना के अनुसंधान अधिकारी द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा गया, जो प्रदर्श पी. 18 है उसमें भी एक देशी कटटा 32 बोर रिवाल्वर व भरे हुए कारतूस व खाली खोखा अंकित किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर द्वारा एफ.एस.एल. को जो पत्र लिखा गया है उसमें भी एक 32 बोर रिवाल्वर व 4 जिन्दा कारतूस व एक खाली खोखा होना बताया गया है। इस जगह भी लिपिकीय भूल हो, ऐसा नही कहा जा सकता क्योंकि यह

जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर द्वारा लिखा गया पत्र है। इसके अलावा इस प्रकरण का वजह सबूत पहले पुलिस थाना समेजा कोठी में जमा हुआ बाद में पुलिस थाना नई मंडी घड़साना के मालखाना में जमा हुआ है। जो मालखाना रजिस्टर की प्रतियां क्रमशः प्रदर्श पी. 28 व प्रदर्श पी. 30 है जिसमें भी एक देशी कटटा 32 बोर व 4 जिन्दा कारतूस व एक खाली खोखा जब्त होने का अंकन किया गया है। इसे भी लिपिकीय भूल नही माना जा सकता। क्योंकि निरन्तरता में यही तथ्य आया है कि एक 32 बोर रिवाल्वर व 4 जिन्दा कारतूस व एक खाली खोखा मुल्जिम प्रेमकुमार से जब्त किये गये थे। इसलिए धारा 27 की जो मुल्जिम प्रेमकुमार की साक्ष्य है उस सम्बंध में देखा जाए तो सभी साक्षीगण ने कहा है कि एक ही फायर हुआ था तथा पिस्तौल में चार जिन्दा कारतूस व एक खाली खोखा था। जबकि इस प्रकरण में फर्द जब्ती प्रदर्श पी. 1 तथा न्यायालय में जो वजह सबूत पेश हुआ है, उसमें भारी अन्तर है। इससे प्रकट होता हे कि मुल्जिम से जो बरामदगी की गई है वह संदिग्ध है। क्योंकि यदि चार जिन्दा कारतूस व एक खाली खोखा बरामद होता तो न्यायालय में भी वही वजह सबूत पेश होता। जबकि न्यायालय में चार चले हुए व एक जिन्दा कारतूस पेश हुआ है। अतः मुल्जिम प्रेमकुमार से हुई बरामदगी के आधार पर तैयार फर्द जब्ती के सम्बंध में साक्षी पी.ड.9 अरविन्द कुमार का यह कहना कि वह एक लिपिकीय भूल थी, यह तथ्य सही नही माना जा सकता। क्योंकि निरन्तरता में फर्द बरामदगी के अनुसार चार जिन्दा कारतूस व एक खाली खोखा बरामद होने का तथ्य अंकित किया गया है। इससे प्रकट होता है कि बरामदगी के पश्चात इस प्रकरण के वजह सबूत से छेड़छाड़ की गई है, अतः वजह सबूत से उक्त छेड़छाड़ के कारण अभियोजन का मामला संदिग्ध हो जाता है। इसलिए धारा 307 भा.द.स. के सम्बंध में जो साक्ष्य आई है वह संदेहास्पद है।

26. मुल्जिम प्रेमकुमार के विरूद्ध धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम का भी आरोप है। इस आरोप को साबित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट से जो अभियोजन स्वीकृति ली जाती है, उसे साबित किया जाना आवश्यक होता है। इसी तरह का निष्कर्ष न्यायिक दृष्टांत 1997 SCC (CRIME) 857 Vijendra vs State of Delhi में दिया गया है कि धारा 39 आयुद्ध अधिनियम के अनुसार धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम का अपराध साबित करने के लिए अभियोजन स्वीकृति को साबित करना आवश्यक था। परन्तु इस प्रकरण में ऐसी कोई अभियोजन स्वीकृति न्यायालय में पेश कर साबित नही करवाई गई है। इस कारण से धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम का

अपराध मुल्जिम प्रेम कुमार के विरूद्ध उक्त न्यायिक निर्णय के परिप्रेक्ष्य में साबित नही माना जा सकता।

27. इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में मुल्जिम के विरूद्ध धारा 353 भा.द.स. के अपराध का आरोप भी है कि मुल्जिम प्रेमकुमार ने लोकसेवको को उनके राजकार्य से निवारित करने के लिए अपराधिक बल का प्रयोग किया हो। हालांकि जो भी साक्षीगण पेश हुए है, उन सभी ने कहा है कि वह पुलिस थाना रावला व घड़साना में कार्यरत थे। परन्तु उनके पुलिस थाना घड़साना या रावला में पदस्थापित होने के सम्बंध में किसी भी सक्षम अधिकारी का कोई नियुक्ति पत्र या पदस्थापन आदेश इस प्रकरण में साक्ष्य के दौरान प्रदर्शित नही करवाया गया है। जिससे साबित हो सके कि उक्त साक्षीगण पुलिस थाना रावला व घड़साना में कार्यरत हो और लोकसेवक के नाते कार्य कर रहे हो। साक्षीगण पी.ड.1 जयपाल व पी.ड.7 विक्रांत जिन पर मुल्जिम प्रेम कुमार द्वारा फायर करना बताया गया है, उस मय यह दोनों राज कार्य कर रहे हो, इससम्बंध में कोई स्पष्ट साक्ष्य पत्रावली पर नही है। इस कारण से धारा 353 भा.द.स. का अपराध भी संदेह से परे साबित नही होता है।

28. अतः अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य पेश हुई है, उसके विवेचनानुसार दिनांक 09.03.2016 को मुल्जिम प्रेम कुमार ने अन्य मुल्जिमान के साथ मिलकर बैंक लूटने की कोई योजना बनाई हो, इस सम्बंध में अभियोजन की ओर से कोई स्पष्ट साक्ष्य नही है। अभियोजन का यह तथ्य की मुल्जिमान ने पहले भी वहां पर रेकी की थी। इस सम्बंध में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण ने कथन किया है कि मौके पर व धान मंडी क्षेत्र रावला में सी .सी.टी.वी. कैमरे थे, परन्तु ऐसी कोई सी.सी.टी.वी. कैमरो की फुटेज प्रकरण में नही ली गई है। अगर सी. सी. टी. वी.कैमरों की फुटेज ली जाती तो सही स्थिति स्पष्ट हो सकती थी। इस प्रकरण में जो कारतूस बरामद होना बताये गये है उनकी बरामदगी भी संदिग्ध है। फर्द बरामदगी प्रदर्श पी.1 के अनुसार 04 जिन्दा कारतूस व एक खाली खोखा बरामद होना बताया गया है तथा एफ.एस.एल. रिपोर्ट के अनुसार 04 जिन्दा कारतूस व एक खाली खोखा एफ.एस.एल. जांच हेतू भेजे गये है जबकि न्यायालय में चार चले हुए कारतूस व एक जिन्दा कारतूस पेश किया गया है। इससे प्रकट है कि बरामदगी के पश्चात वजह सबूत के साथ छेड़छाड़ की गई है। इससे अभियोजन का मामला संदेह के घेरे में आ जाता है। इसके अलावा मुल्जिम पर धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अपराध

का आरोप है। इस आरोप को साबित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व स्वीकृति को साबित किया जाना आवश्यक है। परन्तु ऐसी कोई अभियोजन स्वीकृति इस प्रकरण में पेश कर प्रदर्शित नही करवाई गई है। इससे मुल्जिम प्रेम कुमार के विरूद्ध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अपराध भी साबित नही माना जा सकता। जहां तक धारा 353 भा.द.स. का प्रश्न है इस प्रकरण में जो पुलिस कर्मचारी होना बताये गये है वह घटना के समय पुलिस थाना रावला व घड़साना में कार्यरत हो, इस सम्बंध में कोई नियुक्ति आदेश अभियोजन की ओर से पेश कर प्रदर्शित नही करवाया गया है। उक्त पुलिस कर्मियों का पदस्थापन पुलिस थाना घड़साना व रावला में हो इस बाबत भी कोई पदस्थापन आदेश अनुसंधान अधिकारी ने प्राप्त किया हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। अतः मुल्जिम प्रेमकुमार के विरूद्ध धारा 353 भा.द.स. का अपराध भी साबित नही माना जा सकता। जहां तक धारा 307 भा.द.स. के सम्बंध में साक्षीगण जयपाल व विक्रांत के ऐसी कोई चोट या छर्रे लगे हो, इस सम्बंध में कोई भी साक्ष्य अभियोजन की ओर से पेश नही की गई है। अतः अभियोजन पक्ष मुल्जिम प्रेमकुमार के विरूद्ध धारा 147, 307, 353, 399 भा.द.स. व धारा 3/25 व 27 आयुद्ध अधिनियम के आरोपों को संदेह से परे साबित नही कर पाया है अतः मुल्जिम प्रेम कुमार उक्त आरोपों से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

29. अतः मुल्जिम **प्रेम कुमार** पुत्र गोपालराम निवासी गुंजाल पी.एस. सरवरखुईया, तहसील अबोहर, पंजाब को धारा 147, 307, 353, 399 भा.द.स. व धारा 3/25 व 27 आयुद्ध अधिनियम के आरोपों से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है। मुल्जिम के उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके तुरंत प्रभाव से निरस्त किये जाते है।

30. मुल्जिम **प्रेम कुमार** को आदेशित किया जाता है कि वह छः माह की अवधि के लिए धारा 437–ए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत 10,000/–रूपये की राशि का निजी बंध पत्र व इसी राशि की जमानत पेश कर तस्दीक करावे।

31 प्रकरण में मुल्जिम जसविन्द्र सिंह उर्फ जस्सा पुत्र तेजा सिंह की मृत्यु होने के कारण उसके विरूद्ध पूर्व में कार्यवाही ड्रोप की जा चुकी है

तथा मुल्जिमान रमन, जसविन्द्र सिंह पुत्र हरजिन्द्र सिंह , सुखा उर्फ सुखविन्द्र सिंह, बिटटु उर्फ बलदेव सिंह उर्फ हरप्रीत सिंह मफरूर घोषित है अतः पत्रावली के मुख पृष्ठ पर लाल स्याही से नोट बंकित हो कि पत्रावली का कोई भाग तलफ न किया जावे।

(ऋषि कुमार)
अपर सेशन न्यायाधीश,
घड़साना, जिला श्रीगंगानगर

32. निर्णय व आदेश आज दिनांक 16.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ऋषि कुमार)
अपर सेशन न्यायाधीश,
घड़साना, जिला श्रीगंगानगर